भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 414
(19 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)
प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण

414. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉव:
श्री मांगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के अंतर्गत पतों का डुप्लिकेशन न हो;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में आज की तिथि के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जिले-वार कुल कितने लाभार्थी हैं; और
(घ) गत वित्त वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण में पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र परिवारों के दायरे में, 13 वंचन मानदंडों पर आधारित बहिर्वेशन प्रक्रिया के अध्यधीन एसईसीसी आंकडों के अनुसार सभी बेघर और खुले में रहने वाले, एक अथवा दो कमरों वाले कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।
ii. इस प्रकार बनाए गए दायरे को सत्यापन के लिए ग्राम सभाओं के बीच परिचालित किया जाता है।
iii. स्वीकृति आदेश जारी करने से पहले, बीडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी "आवास एप" मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थी की घर के सामने जियो-रेफ्रेंस्ड फोटोग्राफ लेता है जिसमें वह रह रहा है। उसके बाद, वह उस जमीन की जियो-टैग की गई फोटोग्राफ लेता है जिस पर लाभार्थी ने मकान बनाने का प्रस्ताव किया हो और फिर वह उसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड कर देता है।

(ग) ग्राम सभा द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद बनायी गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 2,41,368 है। इनमें से, मंत्रालय द्वारा राज्य को वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 1,70,912 परिवारों का लक्ष्य पहले ही आवंटित कर दिया गया है। जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) गत वित्त वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों की धनराशि 46,746.99 करोड़ रूपए है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 19.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित अतारांकित प्र.सं. 414 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**लाभार्थियों की सं.**
1.	अनंतपुर	1672
2.	चित्तूर	571
3.	कडपा	774
4.	पूर्वी गोदावरी	52616
5.	गुंटूर	56616
6.	कृष्णा	29384
7.	कुर्नूल	6970
8.	नेल्लोर	5697
9.	प्रकासम	5012
10.	श्रीकाकुलम	8096
11.	विशाखापट्टनम	14133
12.	विजियानगरम	20260
13.	प. गोदावरी	39567
कुल		**241368**

स्रोत : दिनांक 14.11.2019 के अनुसार आवाससॉफ्ट की ई4 रिपोर्ट

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 19.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित अतारांकित प्र.सं. 414 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निधियों का राज्य-वार उपयोग

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षेत्र	निधियों का उपयोग*
1.	अरुणाचल प्रदेश	1210.97
2.	असम	114968.16
3.	बिहार	560295.55
4.	छत्तीसगढ़	387852.95
5.	गोवा	59.8
6.	गुजरात	82679.5
7.	हरियाणा	4468.74
8.	हिमाचल प्रदेश	3472.69
9.	जम्मू और कश्मीर	18614.3
10.	झारखंड	274965.39
11.	केरल	4251.36
12.	मध्य प्रदेश	729732.4
13.	महाराष्ट्र	195613.05
14.	मणिपुर	4996.76
15.	मेघालय	10661.69
16.	मिजोरम	761.93
17.	नागालैंड	3902.6
18.	ओडिशा	457736.85
19.	पंजाब	12859.44
20.	राजस्थान	316291.44
21.	सिक्किम	422.3
22.	तमिलनाडु	135368.17
23.	त्रिपुरा	8255.72
24.	उत्तर प्रदेश	477381.93
25.	उत्तराखंड	6026.5
26.	पश्चिम बंगाल	775923.36
27.	अण्डमान और निकोबार	0
28.	दादर और नगर हवेली	906.4
29.	दमण और दीव	5.2
30.	लक्षद्वीप	23.4
31.	पुदुचेरी	0
32.	आंध्र प्रदेश	26455.2
33.	कर्नाटक	59746.93
34.	तेलंगाना	0
	कुल	**4674699.71**

* राज्य/सं.रा.क्षे. अंश सहित

स्रोत : दिनांक 14.11.2019 के अनुसार आवाससॉफ्ट की बी3 रिपोर्ट